

अनवान: परप्रणीत कोर वनाम सुवत सि 8 भा
प्र.सू. 74/2023
अन्तगति धारा 212 RTA

09
04/23

आज यह पत्रावली मूलभूत में निर्णय होने के कारण येशी में ली गई हस्तगत प्रकरण के मूलभूत में निर्णय हो चुका है। जब इस पत्रावली में कोई काथवाही अपेक्षित नहीं है। प्रार्थना का प्रार्थना पत्र अन्तगति धारा 212 RTA इसी स्तर पर खारिज किया जाकर प्रकरण में जारी अस्थायी निवेदना दिनांक 19/07/23 भी निरस्त की जाती है। पत्रावली निर्णय होकर नम्बर से कम होकर वापिस फुतर हो।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकलापुर

